कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

क्रमांक/पंजीयन परिपत्र/08/ 569 रायपुर दिनांक 31/1/ 2008

प्रति,

संयुक्त/उप /सहायक पंजीयक
सहकारी संस्थाएं
जिला – .... (समस्त)

विषय :– सहकारी संस्थाओं के सशर्त पंजीयन के संबंध में।

––00––

इस कार्यालय के ध्यान में यह तथ्य प्रकाश में लाया गया है कि क्या सहकारी सोसाइटियों का पंजीयन सशर्त किया जा सकता है ?

इस संबंध में अवगत कराया जाता है, कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 6 में सहकारी सोसायटी के पंजीयन करने के शर्तो का स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसमें कतिपय शिथिलता जैसे विद्यार्थियों के लिए गठित की जाने वाली सोसायटी, कम से कम 33 प्रतिशत महिलाओं की सदस्यता एवं किसी संगठन/स्थापना के कर्मचारियों के लिए गठित की जा रही सोसायटी को छोड़ कर अन्य किसी भी प्रकार की सहकारी सोसायटी का पंजीयन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक अधिनियम में उल्लेखित शर्तो की पूर्ति पंजीकृत की जाने वाली सहकारी सोसायटी द्वारा नहीं कर दिया जाता।

अतः अधिनियम में उल्लेखित शर्तो का पालन कराने के उपरांत ही पंजीयन की कार्यवाही किया जावे। यदि अधिनियम के प्रावधानों एवं अविभाजित म0प्र0 के समय पंजीयन के संबंध में जारी परिपत्रों का पालन नहीं करते हुए पंजीयन करने का मामला प्रकाश में आने पर संबंधित अधिकारी के विरूध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

31/1/8

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़